67

संख्या– —— /XXXVI(1)/2013–234/2001

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः04 मार्च, 2013

विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में न्याय लिपिक संविदा/आउटसोसिंग के 09 पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–91/XXXVI(I)/2012–234/2001 दिनांक 26–04–2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिष्ठान में न्याय लिपिक संविदा/आउटसोसिंग के 09 पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, दिनांक 01–03–2013 से दिनांक 28–02–2014 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–00" की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–177 NP/XXVII(5)/2012-13 दिनांक 27–02–2013 को प्राप्त उनकी सहमति के से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या– 670/XXXVI(2)/2013–234/2001 —— तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव

D:\Bhagwan folder\vividh letter.doc